अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

अधिहरण वाद सं० 7 आर० 28 / 2021–22

राज्य

बनाम

महाबीर कोईरी पिता पुना कोईरी, निवासी ग्राम जोन्हा, थाना सिल्ली, जिला रॉची (वाहन सं० – JH-01BR-6440 के निबंधित स्वामी) ..... विपक्षी

17
03.05.2023

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉची के ज्ञापांक सं0 3775 / अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 12.08.2021 द्वारा सिल्ली थाना कांड सं०–53 / 21, दिनांक 11.05.2021 धारा 379 / 414 भा० द० वि०, 4/21 Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, मे जप्त वाहन सं० JH-01BR-6440 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रॉची द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के अनुसार – अँचल अधिकारी सिल्ली के अग्रसारित पत्रांक 267 (ii) / रा० दिनांक 11.05.2021 के आलोक में काण्ड के वादी राजस्व उपनिरीक्षक सिल्ली श्री मिखाईल माठु होरो के द्वारा दिनांक 11.05.2021 समय करीब 09:40 बजे पूर्वाहन अँचल अधिकारी सिल्ली के साथ जोबला मार्ग मे अवैध बालु ढुलाई रोकथाम हेतु छापामारी के क्रम मे ट्रेक्टर सं० JH-01BR-6440 को अवैध बालू जप्त कर थाना परिसर लाया गया। उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर सिल्ली थाना कांड सं०–53 / 21, दिनांक 11.05.2021 धारा 379 / 414 भा० द० वि०, 4/21 Mines and Minerals (Development & Regulation) Act दर्ज किया गया तथा काण्ड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण मे उपरोक्त काण्ड उक्त वाहनो मलिक के विरूद्ध प्रतिवेदित धाराओं के अन्तर्गत सत्य पाया गया।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – उपरोक्त जप्त वाहन को Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (iv) मे वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत जप्त नही किया गया है। उक्त वाहन के मालिक को जप्ती सूची उपलब्ध नही कराई गई है। दर्ज

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

काण्ड का परीक्षण लंबित रहने के दौरान ही विपक्षी के वाहनो को राजसात करने के कार्रवाई आरम्भ किया गया है जो नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। प्रस्तुत मामले मे एम०एम०डी०आर० एक्ट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा परिवाद दर्ज नही किया गया है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालू (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है। विपक्षी यह साबित करने के विफल रहे है कि उपरोक्त परिवहन उनके जानकारी के बगैर किया गया है तथा लघु खनिज के अवैध परिवहन मे उनकी संलिप्तता नही है।

अतः पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रॉची द्वारा अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर सिल्ली थाना कांड सं०–53/21, दिनांक 11.05.2021 मे जप्त वाहन सं० JH-01BR-6440 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:11:30 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9